ANNEXURE-2

17

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय भोपाल
// आदेश //

भोपाल दिनांक 29/12/09

कमांक एफ19–151/09/1/4 राज्य शासन द्वारा प्रदेश में खनि रियायतों के आवेदनों के निराकरण एवं इनके लिये अन्य विभागों से प्राप्त अनुमतियों के निराकरण एवं समीक्षा हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय Co-Ordination Committee का गठन किया जाता है:–

1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वन विभाग	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण	सदस्य
7.	उप महानिरीक्षक जी.एस.आई.	सदस्य
8.	रीजनल कन्ट्रोलर आई.बी.एम.	सदस्य
9	अध्यक्ष, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	सदस्य
10.	कार्यपालन संचालक, इप्को	सदस्य
11.	सचिव, खनिज साधन विभाग	सदस्य सचिव

यह समिति निम्न कार्यों की समीक्षा करेगी:–

(1) खनि रियायत हेतु प्राप्त आवेदनों के निराकरण की अनुशंसा समय सीमा में किए जाने की सतत समीक्षा करना।

(2) खनि रियायत स्वीकृत करने के लिये आवश्यक विभिन्न विभागों विशेषकर वन एव राजस्व से अनापत्तियों की समीक्षा।

(3) खनि रियायत स्वीकृत होने के उपरान्त रिकोनेसेंस, पूर्वेक्षण, खनन संक्रियाएं प्रारम्भ करने हेतु समस्त अनुमतियां समय सीमा में जारी करने की समीक्षा।

(4) प्रदेश शासन के द्वारा घोषित खनिज नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा।

(5) विभाग के कम्प्यूटराईजेशन का डाटा बेस एवं आवेदनों की ऑन लाईन ट्रेकिंग के कार्य की समीक्षा।

(6) अन्य कोई विषय समिति के अध्यक्ष की अनुमति से शामिल किए जा सकेंगें।

मध्यप्रदेश राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हस्ताक्षर) 29/12/09

(आर.डी साहू)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

26-12-09